# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई०ए०एस०

GCMS No.2020/00123 (Bank Case)
Manual no.- 36/2020

एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. रजिस्टर्ड कार्यालय एच डी एफ सी बैंक हाउस, सेनापति बपत मार्ग, लोअर परेल, (वेस्ट) मुम्बई–400013 एवं शाखा कार्यालय फर्स्ट फ्लौर, 414 एस गोपाल टॉवर, शॉफिंग सेन्टर घोड़े वाले बाबा चौराहा के पास कोटा–324007 राज. जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री प्रेरक भार्गव ।

– प्रार्थी

बनाम

1. हरेश कुमार अग्रावत पुत्र श्री भवन दास अग्रावत पता– गणेश कॉलोनी, सीमेन्ट रोड, सुलेख नगर के पीछे, रामगंजमण्डी कोटा–326519 राज. अन्य पता– मैसर्स बपा सीता राम स्टोन ट्रेडर्स गणेश कॉलोनी, सुलेख नगर के पीछे, रामगंजमण्डी कोटा –326519 राज.
2. चेतना हरेश अग्रावत पत्नि श्री हरेश कुमार अग्रावत पता– गणेश कॉलोनी, सीमेन्ट रोड़ सुलेख नगर के पीछे, रामगंजमण्डी कोटा–326519 राज. । अन्य पता– प्लॉट नम्बर 22, खसरा नम्बर 9 एण्ड 10, गोवर्धनपुरा, रामगंजमण्डी, कोटा–326519 राज. ।

– अप्रार्थीगण

जिला मजिस्ट्रेट ... राजस्थान

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002**

**उपस्थितः–**
श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक प्रार्थी

## आदेश

**दिनांकः 25 .08.2020**

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. रजिस्टर्ड कार्यालय एच डी एफ सी बैंक हाउस, सेनापति बपत मार्ग, लोअर परेल, (वेस्ट) मुम्बई–400013 एवं शाखा कार्यालय फर्स्ट फ्लौर, 414 एस गोपाल टॉवर, शॉफिंग सेन्टर घोड़े वाले चौराहा के पास कोटा–324007 से अप्रार्थीगण ने दिनांक 26.03.2013 को 5,60,000/– (अक्षरेः रूपये पांच लाख, साठ हजार मात्र ।) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे बंधक **अचल सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 22, खसरा नम्बर 9 एण्ड 10, ग्राम गोवर्धनपुरा, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान है, जिसका क्षैत्रफल 68.34 वर्ग गज है । जिसकी चर्तुः सीमाएं पूर्व में प्लॉट नम्बर 20 एवं 21, पश्चिम में–एग्रीकल्चर भूमि, उत्तर में–एग्रीकल्चर भूमि, दक्षिण में रास्ता, जिसका पट्टा नगर पालिका रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा श्रीमति चेतना पत्नि श्री हरेश कुमार जाति बैरागी निवासी रामगंजमण्डी के नाम कमांक/न.पा.रा./भूमि नियमन/आवंटन/1160 दिनांक 7.2.2013 से जारीसुदा है जिसका पंजियन उप पंजीयक रामगंजमण्डी द्वारा दिनांक 20.2.2013 को किया गया है,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 07.07.2019 को एन.

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

Scanned by CamScanner

पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते में 3,35,799/– दिनांक 25.09.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 30.09.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये तथा नोटिस को हिन्दी समाचार पत्र हाड़ौती केसरी में दिनांक 10.12.2019 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ने दिनांक 30.09.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये तथा नोटिस को हिन्दी समाचार पत्र हाड़ौती केसरी में दिनांक 10.12.2019 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 30.09.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये तथा नोटिस को हिन्दी समाचार पत्र हाड़ौती केसरी में दिनांक 10.12.2019 को प्रकाशन भी कराया इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 22, खसरा नम्बर 9 एण्ड 10, ग्राम गोवर्धनपुरा, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल 68. 84 वर्ग गज है । जिसकी चर्तुः सीमाएं पूर्व में प्लॉट नम्बर 20 एवं 21, पश्चिम में–एग्रीकल्चर भूमि, उत्तर में– एग्रीकल्चर भूमि, दक्षिण में रास्ता, जिसका पट्टा नगर पालिका रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा श्रीमति चेतना पत्नि श्री हरेश कुमार जाति बैरागी निवासी रामगंजमण्डी के नाम कमांक/न.पा.रा./भूमि नियमन/आवंटन/1160 दिनांक 7.2.2013 से जारीसुदा है जिसका पंजियन उप पंजीयक रामगंजमण्डी द्वारा दिनांक 20.2.2013 को किया गया है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 25.08.2020 को सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

Scanned by CamScanner